मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19.12.2012 की कार्यवाही

आज दिनांक 19.12.2012 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री कुणाल शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानसुार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः—

उपस्थितिः—

1.	श्री कुणाल शर्मा, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,	अध्यक्ष
2	श्री आर0मीनाक्षी सुन्दरम, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष,
3	श्री एम0सी0जोशी, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्उ शासन	सदस्य
4	श्री डा0वी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम, जिलाधिकारी,देहरादून	सदस्य
5.	श्री अशोक कुमार, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून	सदस्य
6.	श्री एस0के0पन्त, वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
7	अधीक्षण अभियंता, जलनिगम, देहरादून	सदस्य
8	श्री सुशील गुप्ता, सभासद, नगर निगम, देहरादून	नामित सदस्य
9	श्री उदय सिंह पुण्डीर, सभासद, नगर निगम, देहरादून	नामित सदस्य

विशेष आमंत्रित

1. श्री संजय गुंज्याल,पुलिस उपमहानिरीक्षक देहरादून परिक्षेत्र

अन्य उपस्थितिः—

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
2. मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
3. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
4. नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और अवगत कराया गया कि किन्ही कारणों से बोर्ड मीटिंग काफी समय पश्चात् की गयी है और अध्यक्ष महोदय को अपर सचिव, वित्त द्वारा प्राप्त आपत्ति पत्र एवं एजेण्डा को पढ़ने की अनुमति मांगी जिसके सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओ को एजेण्डा में उल्लिखित बिन्दु के साथ साथ पढ़ा जाये। प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक 1 :– भवन उपविधि में मानकों के अनुसार न्यूनतम भू–खण्ड क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर को कम किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि मानको के अनुसार न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल 60 मीटर से कम करने हेतु एक कमेटी गठित कर दी जाये जिसमें सदस्य सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक एवं मुख्य नगर अधिकारी होंगे। यह कमेटी संयुक्त रूप से इस बिन्दु पर विस्तृत रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण के अभियंताओं को एक्ट मे किये गये प्राविधान 52 (ए) के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये एवं बायलॉज मे नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्रो में मानचित्र स्वीकृत करने की प्रकिया के सरलीकरण हेतु जारी शासनादेश संख्या 1614/9–आ–3–97–38 विविध/97 दिनांक 01 मई 1997 का भी संज्ञान लिया जाये।

विषय कमांक 2 :– मौजा– ढाकपटटी (राजपुर) में गैर जमीदारी विनाश क्षेत्र (नॉन जेड0 ए0) खसरा नम्बर 470/2 मिन0 रकबा 5.0830 है0 भूमि को आपसी सहमति से कय किये जाने हेतु स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भूमि कय करने सम्बन्धी एक समिति का गठन कर लिया जायेः–

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
2. उप नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
3. वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक
4. उपजिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य लेखाधिकारी।

उक्त कमेटी भूमि कय करने हेतु भूमि की वाइबिलिटी, एवं ज्योलोजीकल एवं वित्तीय आख्या बनाकर संयुक्त रूप से प्रस्तुत करेगी भूमि कय करने हेतु सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 3 :– मौजा–झडीपानी (मसूरी) में भूमि खेवट खाता संख्या 1 गैर जमीदारी विनाश क्षेत्र (नॉन जेड0 ए0) कुल 580बीघा भूमि में भू–धारक श्री मनोज जोशी के स्वामित्व वाली भूमि को आपसी सहमति से प्राधिकरण द्वारा कय किये जाने हेतु स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भूमि कय करने सम्बन्धी एक कमेटी गठित कर ली जाये जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–

1 सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2 उप नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
3 वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक, देहरादून।
4 उपजिलाधिकारी, देहरादून।
5 मुख्य लेखाधिकारी।

उक्त कमेटी भूमि क्रय करने हेतु भूमि की फिजीबिलीटी, वाइबिलिटी, एवं ज्योलोजीकल एवं फाइनेन्सिल वाइबिलिटी आख्या बनाकर संयुक्त रूप से प्रस्तुत करेगी भूमि क्रय करने हेतु सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 4 :– **मौजा–झडीपानी /भटटा (मसूरी) में लगभग 100 बीघा भूमिधरी भूमि को आपसी सहमति से क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में**

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भूमि क्रय करने सम्बन्धी एक कमेटी गठित कर ली जाये जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–

1 सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2 मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
3 वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक, देहरादून।
4 उपजिलाधिकारी, देहरादून।
5 मुख्य लेखाधिकारी।

उक्त कमेटी भूमि क्रय करने हेतु भूमि की फिजीबिलीटी, वाइबिलिटी, एवं ज्योलोजीकल एवं फाइनेन्सिल वाइबिलिटी की आख्या बनाकर संयुक्त रूप से प्रस्तुत करेगी भूमि क्रय करने हेतु सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 5:– **जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रस्ताव पूर्व में ही बोर्ड द्वारा स्वीकृत था। अतिरिक्त कार्य की कार्येत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के संज्ञान मे लाया गया। जिसका संज्ञान बोर्ड द्वारा लिया तथा अपर सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भुगतान उपाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है अतः बोर्ड के सम्मुख उक्त एजेण्डे को नही रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि इस प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अपने स्तर से नियमानुसार अतिरिक्त भुगतान की कार्यवाही करेंगे।

विषय क्रमाकं 6 :– **घण्टाघर व्यवसायिक कॉमप्लेक्स को पी0पी0पी0 आधार पर संचालित किये जाने के सन्दर्भ मे।**

चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी हो गया है। पीपीपी मोड में चलाने के लिए सैद्वान्तिक सहमति प्रदान करते हुए शासनादेश के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।

विषय कमांक 7 :—प्राधिकरण में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं हेतु Consultancy Charges के मदों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोर्ड के संज्ञान में उपाध्यक्ष द्वारा लाया गया था कि प्रस्ताव स्वीकृत बजट में पुनर्निनियोग से सम्बन्धित है। अतः इस शर्त के साथ बोर्ड ने पुनर्निनियोग प्रस्ताव को मंजूर किया कि स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही उक्त व्यय किया जाये। निर्णय लिया गया कि कन्सलटैन्टी हेतु अतिरिक्त धनराशि का भुगतान पूर्व में पारित बजट से ही किया जाये तथा उत्तराखण्ड प्राप्ति नियमावली 2005 के प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 8:— वाद संख्या सी0—431/एस—5/2011 स्थल खसरा नम्बर नया 139क,139ख,139 च,139ड,139 झ,140,141,142 मौजा जाखन राजपुर रोड पर मै0 पैसिफिक डवलपमैन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निदेशक श्री साकेत बन्सल पुत्र श्री एस0के0 बन्सल द्वारा मल्टीप्लैक्स एवं मॉल के मालचित्र को शमन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि यदि प्रकरण प्राधिकरण के मानको के अनुसार शमन योग्य है तो इसमें प्राधिकरण बोर्ड को कोई आपत्ति नही है। अतः प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 9 :— खसरा नम्बर 608 मियावाला, परवादून में होटल के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक से राय लेते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 10 :— मानचित्र पत्रावली संख्या सी—0043/12—13 मै0 दाताराम एण्ड सन्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत सिगनेट्री श्री अरूण टक्कर पुत्र श्री अमरनाथ टक्कर द्वारा भूमि खसरा नम्बर 608 से 618,619/1,619/2,620 से 624,627,630,648,650,651 व 655 मौजा कण्डोली परगना पछवादून तहसील विकास नगर जिला देहरादून में हॉस्टल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि यदि उक्त मानचित्र नियमानुसार है तो उक्त मानचित्र को स्वीकृत करनें में प्राधिकरण बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। मानचित्र स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

विषय कमांक 11 :—वाद संख्या आर—470/एस—8/2010 के अन्तर्गत मै0 द्रोण विहार आवास विकास सहकारिता न्यू फारेस्ट देहरादून द्वारा खसरा नं0 3 मौजा हरभजवाला में मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रोरेट स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक से राय लेते हुए प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय कमांक 12 :— मानचित्र पत्रावली संख्या सी—0060/12—13 श्री संजीव दुआ पुत्र श्री के0एल0दुआ एवं श्रीमती टीना दुआ पत्नी श्री संजीव दुआ द्वारा भूमि खसरा नम्बर 308,309,310 मौजा अधोईवाला में क्षेत्रफल 2700 वर्गमीटर पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायें

विषय कमांक 13 :— ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटि द्वारा भूमि खसरा नम्बर/सम्पत्ति संख्या 566/6 बेल रोड क्लेमेन्टाउन देहरादून में एकेडमिक ब्लॉक व जिमनेजियम निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि चूंकि पूर्व में इस प्रकरण के शिथिलता प्रदान करनें के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1140/ वी— आ0—2—2011—72 (आ0)/2011 दिनांक 6 सितम्बर 2011 जारी किया गया है। अतः बोर्ड को इसमें कोई आपत्ति नही है। सैट बैक के सम्बन्ध में प्राधिकरण जॉच कर मानकों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

विषय कमांक 14 :— श्री केशोलाल गोयल द्वारा भूमि खसरा नम्बर 449क,ग,450,451 मौजा सुद्दोवाला देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 15 :— मै0 दून होटल एवं रिसोर्टस प्रा0लि0 द्वारा श्री सुभाष चौधरी एवं श्री भीमसैन बाधवा भूमि खसरा नम्बर 182 क एवं 182/329 मौजा मालसी देहरादून पर होटल एवं रिसोर्टस निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 16 :— मानचित्र संख्या सी—0039/11—12 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1006 एवं 107 मौजा पौंधा में हॉस्टल बिल्डिंग के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमाकं 17 :— वाद पत्रावली सं0 आर—0701/एस—6/2010 कर्नल एस0 पी0 भारद्वाज द्वारा भूमि खसरा 927,941,942 मौजा धौलास परगना पछवादून तहसील विकासनगर,जिला देहरादून में भवन मानचित्र शमन करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक से राय लेते हुए प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय कमांक 18:— मानचित्र संख्या एस0—0086/2012—2013 स्थल 11ए0 कालीदास रोड पर श्रीमति वीना बब्बर,श्रीमति विभूति बब्बर ,श्री श्याम बब्बर एवं श्री एम0 सी0 बब्बर द्वारा हॉस्टल के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

27.7.12